

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

19/07/2022 17:27 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000	43
2	INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000	66
3	IPC 1860	120-B
4	IPC 1860	201
5	IPC 1860	409
6	IPC 1860	420
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से):

16/01/2020

Date To (दिनांक तक):

31/01/2020

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 10:00
hrsTime To (समय तक): 17:00
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 19/07/2022

Time (समय): 16:50
hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015

Date and Time
(दिनांक और समय):
19/07/2022 16:50
hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 50 Km Beat No. (बीट सं.):
(s)

(b) Address (पता): श्री कृष्णा आयुश विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): उ.नि. सूवे सिंह

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय): Government Employee

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर 10, अम्बाला, शहर, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA
2	Present Address	राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर 10, अम्बाला, शहर, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA
3	Permanent Address	राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर 10, अम्बाला, शहर, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416073105

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	देवेन्द्र कुमार			1. तत्कालीन क्लर्क, कार्यालय जिला फरीदाबाद, हाल हिसार, जिला हिसार HISAR, HARYANA, INDIA
2	गणेश गुप्ता			1. तत्कालीन कम्प्युटर आपरेटर, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
3	गौतम सुरा		Father's Name: नरेश कुमार	1. वासी तुलसी विहार, अजाद नगर हिसार, हाल वार्ड नं 13 बरवाला, जिला हिसार HISAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

थाना प्रबन्धक,

राज्य चौकसी ब्यूरो,

अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 03 दिनांक 08.09.2021 कुरुक्षेत्र मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी ब्यूरो विभाग के यादि क्रमांक 49/29/2021-4चौ0(1) दिनांक 01.06.2022 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पृष्ठांक नं. 9494/आई-1/रा.चौ.ब्यू.(ह0) दिनांक 15.06.2022 के अनुसार पंजीकृत पडताल हेतू प्राप्त हुई है।

जिसमें आरोप था कि श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा वर्ष 2020 में बी.ए.एम.एस. प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा/री की परीक्षा दिनांक 16 जनवरी 2020 से आयोजन किया गया था। दिनांक 16 जनवरी 2020 को परीक्षा शुरू होने से 4 घण्टे पहले प्रश्न-पत्र विद्यार्थियों को 10 से 20 हजार रुपये में बेचकर लीक किया गया, जिससे आम पढ़ने

वाले छात्र अच्छे नम्बर न ले सके और पैसों में प्रश्न-पत्र खरीद करने वाले छात्र अच्छे नम्बर लेकर पास हो जायें। इस पर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों द्वारा लीक हुये प्रश्न-पत्र का मिलान असल प्रश्न-पत्र से करने उपरान्त 16 जनवरी 2020 को हरियाणा प्रदेश के विभिन्न आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में आयोजित बी.ए.एम.एस. प्रथम वर्ष की परीक्षा बीच में ही रोक दी गई, लेकिन इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारी/प्रशासन श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज न करवाकर अपने स्तर पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की एक कमेटी बनाकर लीक हुये प्रश्न-पत्र की जांच करवाकर लीपा-पोती करके मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से आम पढ़ने वाले छात्रों के साथ अन्याय किया गया है।

जांच से पाया गया कि श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा दिनांक 16.01.2020 से 31.01.2020 तक (पदार्थ विज्ञान विषय 1-11 दिनांक 16.01.2020 को, आयुर्वेद का इतिहास दिनांक 18.01.2020, संस्कृत BAM-120 दिनांक 20.01.2020, क्रिया शरीर 1-11 दिनांक 22.01.2020 व 24.01.2020 को, रचना शरीर 1-11 दिनांक 27.01.2020 व 29.01.2020 को, व अष्टांग हृदय BAMS-1 दिनांक 31.01.2020 को) पूरक (री) परीक्षाओं का आयोजन 1.00PM से 4.00 PM तक करने के लिये डेट-शीट जारी की गई। गौतम सुरा द्वारा नैशनल आयुर्वेदिक एंड हास्पिटल कालेज बरवाला जिला हिसार में वर्ष 2018 में बी.ए.एम.एस प्रथम वर्ष में पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर, क्रिया शरीर, अष्टांग हृदय व संस्कृत विषय के साथ दाखिला लिया गया और जिसकी वर्ष 2019 की उपरोक्त सभी विषयों में री आनी पाई गई। छात्र गौतम सुरा ने सभी विषयों में पूरक परीक्षा के लिये अपने पड़ोसी देवेन्द्र कुमार लिपिक कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हिसार, वासी आजाद नगर हिसार जो पहले वर्ष 2008 से 2019 तक श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र में वाटर कैरियर के पद पर कार्यरत था और वर्ष 2019 में क्लर्क के पद पर पदोन्नत होने के बाद कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, फरीदाबाद में कार्यरत था व जिसका परिवार किराये के मकान में सैक्टर-2 कुरुक्षेत्र में रहता था, से सम्पर्क किया। इस पर देवेन्द्र कुमार लिपिक द्वारा विद्यार्थी गौतम सुरा को आश्चस्त किया गया कि, उसका श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में जानकार कार्यरत गणेश गुप्ता कम्प्यूटर आपरेटर है। मैं आपको री के प्रश्न-पत्र उससे लेकर उपलब्ध करवा दूंगा। इस पर देवेन्द्र कुमार क्लर्क जो फरीदाबाद से दिनांक 4.01.2020 को छुट्टी के दिन अपने परिवार के पास कुरुक्षेत्र में आया हुआ था, ने गणेश गुप्ता कम्प्यूटर आपरेटर से उपरोक्त विषयों की पूरक/री परीक्षा के प्रश्न-पत्र उपलब्ध करवाने बारे सम्पर्क किया। दोबारा से छात्र गौतम सुरा वासी हिसार हाल बरवाला द्वारा देवेन्द्र कुमार क्लर्क को प्रश्न-पत्र उपलब्ध करवाने बारे, कहने पर दिनांक 12.01.2020 को उसने गणेश गुप्ता कम्प्यूटर आपरेटर से उपरोक्त सभी विषयों के पूरक परीक्षा के प्रश्न-पत्र लेकर छात्र गौतम सुरा को यह कहकर दिये गये कि, परीक्षा में यही प्रश्न आयेगे और फिर पेमेन्ट कर देना।

दिनांक 13.01.2020 को गौतम सुरा विद्यार्थी ने अपने साथी विद्यार्थियों को दिनांक 16.01.2020 को होने वाली पदार्थ विज्ञान विषय की परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न देकर और उनसे देवेन्द्र कुमार क्लर्क को पैसे देने के लिये पैसे इकट्ठे किये, परन्तु दिनांक 16.01.2020 को पदार्थ विज्ञान विषय का पेपर लीक हो गया और पेपर लीक के सम्बन्ध में गौतम सुरा विद्यार्थी ने देवेन्द्र कुमार लिपिक को कहा, कि पेपर लीक हो गया है, जिस पर देवेन्द्र कुमार ने उपरोक्त छात्र को यह कह कर आश्चस्त किया जाना पाया गया कि, कोई बात नहीं बाकी विषयों के पेपर तो होने हैं, उनके पैसे पे.टी.एम बैंक के यू.पी.आई के माध्यम से उसके भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 30097275458 में भेज दें। जिस पर छात्र गौतम सुरा द्वारा दिनांक 17.01.2020 को 10,000/-₹0 अपने साथी विद्यार्थी राकेश सुधार छात्र बी.ए.एम.एस-1 नैशनल आयुर्वेदिक कालेज बरवाला जिला हिसार को कैश दिये गये और यही राशि छात्र राकेश सुधार द्वारा अपनी UPI id 929729885533 paytm बैंक के माध्यम से देवेन्द्र कुमार क्लर्क के UPI id 9992869449@ paytm से उसके एस.बी.आई. खाता संख्या 30097275458 में ट्रांसफर किये गये हैं।

देवेन्द्र कुमार क्लर्क व गणेश गुप्ता तत्कालीन कम्प्यूटर आपरेटर कार्यालय परीक्षा नियंत्रक श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने दिनांक 16.01.2020 से दिनांक 31.01.2020 तक होने वाली बी.ए.एम.एस-1 की री/सप्लीमेंटरी परीक्षा के प्रश्न पत्रों को आपस में मिली भगत करके पद का दुरुपयोग करते हुये प्रश्न-पत्र लीक करके, रुपये कमाने की नियत से छात्र गौतम सुरा बी.ए.एम.एस-1 नैशनल आयुर्वेदिक कालेज बरवाला जिला हिसार को बेच कर और छात्र गौतम सुरा द्वारा लीक हुये प्रश्न-पत्र जो देवेन्द्र व गणेश गुप्ता कम्प्यूटर आपरेटर से लिये थे, को नष्ट करके खुर्द-बुर्द करके धारा 409,420,201,120बी. भा.द.स. एवं 8 व 13 (1)(b) r/w 13(2) PC ACT 1988 तथा 66 IT Act r/w Section 43 (1) IT के तहत अभियोग दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया था।

इस बारे अंतिम रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला की टिप्पणी सहित उनके

कार्यालय के पत्र क्रमांक 4404/रा.चौ.ब्यू (ह0) दिनांक 17.03.2022 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा उनके कार्यालय के पृ0 क्रमांक 49/29/2021-4चौ0(1) दिनांक 01.06.2022 से व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के 9494/आई-1/रा.चौ.ब्यू (ह0) दिनांक 15.06.2022 के अनुसार उपरोक्त सभी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये हैं।

अतः देवेन्द्र कुमार तत्कालीन क्लर्क कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी फरीदाबाद हाल हिसार, गणेश गुप्ता तत्कालीन कम्प्यूटर आपरेटर कार्यालय परीक्षा नियंत्रक श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हाल डा0 बी.आर.अम्बेडकर नैशनल लां यूनिवर्सिटी राई जिला सोनीपत व छात्र गौतम सुरा पुत्र नरेश कुमार वासी तुलसी विहार अजाद नगर हिसार हाल वार्ड नं. 13 बरवाला जिला हिसार के विरुद्ध धारा 409, 420, 201, 120बी. भा.द.स. एवं 8 व 13 (1)(b) r/w 13(2) PC ACT 1988 तथा 66 IT Act r/w Section 43 (1) IT के तहत अभियोग अंकित करने के लिये लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रशासकीय विभाग (स्वास्थ्य) व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेजी जाये।

(सुबे सिंह)

उप निरीक्षक

राज्य चौकसी ब्यूरो,

अम्बाला।

दिनांक 19.07.2022

At – 4.45 PM.

अज थाना – लिखित लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर रपट न.15 दिनांक 19.07.2022 अनुसार अभियोग संख्या 12 दिनांक 18.07.2022 धारा 409, 420, 201, 120बी. भा.द.स. एवं 8 व 13 (1)(b) r/w 13(2) PC ACT 1988 तथा 66 IT Act r/w Section 43 (1) IT Act. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस, असल लेख मय रिकार्ड सिपाही सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला के निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र व निजद अनुसंधानकर्ता निरीक्षक जोगेन्द्र सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
JOGINDER SINGH
No. (सं.): 66 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): hps

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

